संख्या-05/2026/118/उन्नीस-2-2026/006-1853503

प्रेषक,

संजय प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0,
लखनऊ।

सूचना अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 2026

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मानक मद ''18-प्रकाशन'' में मूल बजट प्राविधान की अवशेष धनराशि एवं प्रथम अनुपूरक बजट से प्राविधानित धनराशि सहित कुल रू0 4300.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-255/सू0एवंज0स0वि0(लेखा)-2025, दिनांक 19.02.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-86 के लेखाशीर्षक ''2220-सूचना तथा प्रचार'' के अन्तर्गत मानक मद संख्या- "18-प्रकाशन" में मूल बजट प्राविधान की अवशेष धनराशि एवं प्रथम अनुपूरक बजट से प्राविधानित धनराशि सहित कुल धनराशि रू0 43,00,00,000/- (रुपये तैंतालीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्न नियम शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा पूर्व में दी गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 31 मार्च तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित ऑकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुए पत्रावली पर वित्त विभाग को अवगत करायेंगे।

(3) धनराशि के व्यय में सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्राविधान किया गया है।

https://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का होगा।

(6) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 द्वारा नवनिर्मित प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल, 2016 के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.17 की व्यवस्था का ध्यान रखा जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 43,00,00,000 (रुपये तैंतालीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक में अनुदान संख्या 086 लेखाशीर्षक 2220601100300 अधिष्ठान मानक मद 18 प्रकाशन के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025-1-35/स-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

संजय प्रसाद
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-05/2026/118(1)/उन्नीस-2-2026/006-1853503, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

चंचलता श्रीवास्तव
अनु सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।